

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7
संख्या: 188599/XXVII(7)/ई-19943/2022
देहरादून, दिनांक: 08 फरवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला/पुरुष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child Care Leave) अनुमन्य किए जाने विषयक वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0 126942/XXVII(7)/ई-19943/2022 दिनांक: 01.06.2023 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश के बिन्दु सं0 viii को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

viii. "राज्य सरकार की महिला सरकारी सेवकों/एकल अभिभावक (महिला एवं पुरुष) सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश की अवधि के दौरान अवकाश पर प्रस्थान करने से पूर्व प्राप्त हो रहे/आहरित वेतन के समतुल्य 'अवकाश वेतन' देय होगा।"

2. शासन के उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक: 01.06.2023 को आदेश लागू होने की तिथि से उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए।

Signed by Dilip Jawalkar

Date: 08-02-2024 11:33:28

(दिलीप जावलकर)

सचिव।

संख्या: 188599/XXVII(7)/ई-19943/2022, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायुं, पौड़ी/नैनीताल।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, कोषागार, पेंशन व हकदारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त वित्त नियंत्रक, उत्तराखण्ड।
12. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की।
14. विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

Signed by Ganga Prasad

Date: 08-02-2024 11:38:24

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।